लखनऊ विश्वविद्यालय

लखनऊ, उ0प्र0—226007

Web. : www.lkouniv.ac.in, E-mail : registrar@lkouniv.ac.in, Phon/Fax : 0522-2740412

संदर्भ संख्या :............................/सम्बद्धता/2018

दिनांक :...

ई—मेल/रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट/व्यक्तिगत

संदर्भ :— विश्वविद्यालय से निर्गत नोटिस संख्या : एएफ 50740—45/सम्ब./ 2017, दिनांक 08.11.2017
2— संख्या : एएफ 52242—48/सम्ब./ 2017, दिनांक 30.11.2017
3— संख्या : एएफ 53246—52/सम्ब./ 2017, दिनांक 11.12.2017
4— संख्या : एएफ 3529—35/ सम्ब./ 2017, दिनांक 02.02.2018
5— संख्या : एएफ 4999—5005/सम्ब./ 2018, दिनांक 22.02.2018

कार्यालय—ज्ञाप

लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त निम्नलिखित महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत पूर्व से संचालित बी0एड0 पाठ्यक्रमों की सहयुक्तता 30 जून, 2018 को समाप्त होने जा रही है, इस सम्बन्ध में सूच्य है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उ0प्र0 शासन द्वारा 28 फरवरी तक निरीक्षण आख्या/प्रस्ताव विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराने एवं 10 मई, तक बी0एड0 पाठ्यक्रमों की सहयुक्तता के निस्तारण हेतु अन्तिम तिथि पूर्व से निर्धारित है तत्क्रम में सम्मुख बाक्स में उल्लेखित पत्रों के माध्यम से आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी किन्तु निम्नलिखित महाविद्यालयों द्वारा अद्यतन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी है :—

1	सत्यानन्द उच्च शिक्षा संस्थान, ग्राम नीवा, मेमौरा एयरबेस के सामने, सरोजनी नगर, लखनऊ।
2	डॉ0 एम0सी0 सक्सेना कालेज ऑफ एजूकेशन, दुबग्गा, हरदोई रोड, लखनऊ।
3	इरम डिग्री कालेज, शेखपुर, हबीबपुर, राजाजीपुरम, लखनऊ।
4	स्वतंत्र गर्ल्स डिग्री कालेज, स्नेह नगर, आलमबाग, लखनऊ।
5	जी0सी0आर0जी0 इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजूकेशन, पर्वतपुर, चण्डिका देवी रोड, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
6	अकबरी बेगम कालेज ऑफ एजूकेशन, गनेशपुर, रहमानपुर, लखनऊ।
7	अमृतानन्दमयी कालेज ऑफ हायर एजूकेशन, बिन्दौवा, मोहनलालगंज, रायबरेली रोड, लखनऊ।
8	शेखर कालेज ऑफ एजूकेशन, बन्थरा, कानपुर रोड, लखनऊ।
9	श्री कृष्ण दत्त एकेडमी, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ।
10	इरम कालेज, कुर्सी रोड, गुडम्बा, लखनऊ।
11	यशराज इंस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन, बाघामऊ, लखनऊ।

उल्लेखनीय है कि सहयुक्त महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में कार्य परिषद की बैठक दिनांक 19.06.2017 द्वारा निर्णय पारित किये गये हैं कि—"किसी भी महाविद्यालय को तीन वर्ष के अन्तर्गत स्थायी सहयुक्तता प्राप्त करना अनिवार्य होगा, तीन वर्ष के निर्धारित अवधि के अन्दर स्थायी सहयुक्तता प्राप्त न करने पर एक वर्ष का समय अतिरिक्त दिया जायेगा। यदि निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत महाविद्यालय शर्तों को पूरा नहीं कर पाता है एवं स्थायी सहयुक्तता नहीं प्राप्त कर पाता है तो प्रतिवर्ष एक लाख रू0 अर्थदण्ड के साथ तीन वर्ष का समय और प्रदान किया जायेगा, तत्पश्चात विश्वविद्यालय से महाविद्यालय की सहयुक्तता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।" जिसकी सूचना पूर्व में प्रसारित की जा चुकी है।

अतः बाक्स में उल्लिखित पत्रों के क्रम में उपरोक्त बी0एड0 महाविद्यालयों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार — **"आगामी शिक्षण सत्र 2018—19 से स्थायी सहयुक्तता (जिनके तीन वर्ष के परीक्षा परिणाम प्राप्त हो चुके हैं) अथवा पूर्व प्रदत्त अस्थायी सहयुक्तता को 2018—19 के लिए विस्तरण प्रदान किये जाने हेतु समस्त कमियों के निस्तारणोपरान्त स्थलीय निरीक्षण आख्या अथवा सुसंगत प्रस्ताव प्रत्येक दशा में 31.03.2018 तक विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बी0एड0 पाठ्यक्रम में सत्र 2018—19 से प्रवेश प्रतिबन्धित समझा जायेगा जिसके लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा।"**

(प्रो0 आर0के0 सिंह)
कुलसचिव

संख्या : AF-6752-56 दिनांक : 17/03/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. अधिष्ठाता, महाविद्यालय विकास परिषद, ल0वि0।
3. परीक्षा नियंत्रक, ल0वि0।
4. इंचार्ज, वेबसाइट/कम्प्यूटर केन्द्र, ल0वि0वि0 को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सम्बन्धित महाविद्यालयों को ई—मेल से प्रेषित करने एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5. प्रबन्धक, उपरोक्त सहयुक्त महाविद्यालय, लखनऊ को सूचनार्थ/अनुपालनार्थ।
6. गार्ड फाईल।

bmishra

(डॉ0 भावना मिश्रा)
उप कुलसचिव